

Soban Singh Jeena University, Almora

LL.B. III YEAR COURSE

प्रवेश परीक्षा 2025–26

विवरणिका

(Brochure)

Soban Singh Jeena University, Almora

SESSION 2025-26

**Department of Law, Soban Singh Jeena University, Campus
Almora**

Brochure

विवरणिका

एल—एल0 बी0(त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

सत्र 2025—26 हेतु

आवश्यक दिशा— निर्देश

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन पद्धति से भरा जायेगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है जिसे काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

एल—एल० एम० (ट्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2025—26 हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

01	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक: 24 सितम्बर, 2025
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	दिनांक: 01 अक्टूबर, 2025
03	परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि (ऑनलाईन)	दिनांक: 03 अक्टूबर, 2025
04	आवेदन पत्र ऑनलाईन सुधार हेतु अन्तिम अवसर	दिनांक: 05 अक्टूबर 2025
05	प्रवेश परीक्षा तिथि	दिनांक: 12 अक्टूबर, 2025
06	प्रवेश परीक्षा परिणाम तिथि	दिनांक: 15 अक्टूबर, 2025
07	प्रवेश परीक्षा परिणाम पर आपत्ति मांगे जाने की तिथि	दिनांक: 17 अक्टूबर, 2025
08	अंतिम परीक्षा परिणाम तिथि	दिनांक: 18 अक्टूबर, 2025

प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण—

01	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रु 1600.00
02	अनु0जाति/ अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु	रु 1100.00

एल—एल० एम० प्रवेश परीक्षा 2025—26 के लिए प्रवेश परीक्षा केन्द्र सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

01 अल्मोड़ा	02 पिथौरागढ़
-------------	--------------

नोट:— प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ होगा।

नोट:— प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ होगा।

ऑनलाईन आवेदन

1. सामान्य निर्देश (General Instructions)

- 1.1 एल—एल० बी० (ट्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2025—26 हेतु आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका में दिये गये निर्देशों का भली प्रकार पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें।
- 1.2 एल—एल० बी० (ट्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न पत्र होगा। (एल—एल० बी०—१)

प्रश्न—पत्र—कुल अंक— 100, कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100, समय 1:30 घण्टा (90 मिनट)

प्रश्न—पत्र का विषय—“सामान्य ज्ञान एवं भाषा” (General Knowledge and Language)

प्रश्न—पत्र की विषय वस्तु—सामान्य ज्ञान (50 प्रश्न) (अद्यतन राजनीति, नैसर्गिक विज्ञान, आधुनिक अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, तार्किक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आधुनिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन)

भाषा (50 प्रश्न) (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के— शब्दार्थ, मुहावरे व लोकोक्तियां, अनेक शब्दों का स्थानापन्न एक शब्द, वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करना, व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियों को ठीक करना, हिन्दी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिन्दी में शब्दों का अनुवाद)

1.3 प्रवेश परीक्षा में **न्यूनतम 25 प्रतिशत** अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

1.4 यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनायें तथा अनुचित साधनों के आधार पर अथवा ब्रुटिवश प्रवेश पाता है तो उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही अकृत्य एवं शून्य माना जायेगा और जिस समय भी यह तथ्य उद्घाटित होंगे उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

1.5 प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग तथा प्रवेश के समय हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि की अंक तालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों, सम्बन्धित विश्वविद्यालय/विधिक शिक्षण संस्थान द्वारा वांछित विशेष लाभाधिकार प्रमाण पत्रों (यथा, आरक्षण सम्बन्धी वैध प्रमाणपत्रों, अधिमान अंक सम्बन्धी प्रमाणपत्र, स्थाई निवास प्रमाणपत्र आदि) पिछले विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी०सी०) की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में प्रवेश प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए सम्बन्धित छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

1.6 प्रवेश परीक्षा 2025–26 का प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पश्चात् अभ्यर्थी को नियत तिथि एवं समय पर प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र पर उपस्थित होकर समय से निर्धारित स्थान ग्रहण करना आवश्यक है क्योंकि परीक्षा से पहले कुछ औपचारिकतायें पूरी करनी होगी और परीक्षा सम्बन्धी निर्देश दिये जायेंगे।

1.7 प्रवेश परीक्षा की उत्तरकुंजी (Answer Key)का प्रकाशन तथा आपत्तियों पर विचारण—प्रवेश परीक्षा के सम्पादित होने के तुरंत बाद उत्तरकुंजी (Answer Key)को समर्थ पोर्टल <https://ukentrance.samarth.edu.in/>में प्रकाशित कर उन पर आपत्तियां (यदि कोई हो तो) आमंत्रित की जायेंगी। आपत्तियां लिखित व प्रमाण सहित तीन (3) दिनों के भीतर **ई-मेल आईडी०** पर प्रेषित करनी होंगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विचारोपरान्त परीक्षा का परिणाम तैयार होगा।

1.8 प्रवेश परीक्षा के फलस्वरूप प्राप्तांकों की वरीयता सूची को समर्थ पोर्टल <https://ukentrance.samarth.edu.in/>में प्रकाशित किया जायेगा।

1.9 एलएल० बी० प्रवेश परीक्षा संबंधी किसी भी जानकारी के लिये राज्य नोडल अधिकारी, डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह, मो० न०. 9837987639 एवं समर्थ पोर्टल के सहायक नोडल अधिकारी, श्री मनीष कुमार, मो० न०.

शुल्कप्रसंबंधी किसी भी जानकारी के लिये पर सम्पर्क कर सकते हैं।

1.10 प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये अभ्यर्थी का अभ्यर्थन (Candidature)निरस्त कर दिया जायेगा।

2. (एल—एल० बी० (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश)

2.1 प्रवेश प्रक्रिया: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तहत संचालित एल—एल० बी० (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश—परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों की वरीयता, अधिमान अंकों तथा तत्समय

लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे।

2.2 प्रवेश-परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रता:

एल-एल0 बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार स्नातक स्तर पर सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत (44.99 प्रतिशत मान्य नहीं), अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 42 प्रतिशत (41.99 प्रतिशत मान्य नहीं) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत (39.99 प्रतिशत मान्य नहीं) होना आवश्यक है।

नोट-यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी सम्बन्धित परीक्षा के लिए अर्ह नहीं है अथवा उसके परीक्षा आवेदन पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है तो विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षार्थी का अभ्यर्थन तथा परीक्षाफल निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

*ऐसे विद्यार्थी जो कि अर्हता परीक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) के अन्तिम वर्ष/सैमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं (Students Appearing in the final year of Eligibility Examination) को भी इस प्रतिबन्ध के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विद्यार्थी को एल-एल0 बी0 कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग से पूर्व अपनी अंकतालिका (प्राप्त अंकों का विवरण) प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण किये जाने की दशा में ही उसका अभ्यर्थन अनुमत्य होगा। न्यूनतम अर्हता पूर्ण न किये जाने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

* एल-एल0 बी0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course)है। अतः उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थी एक शैक्षणिक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होगा। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के एक सत्र में दो नियमित एवं/अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (Regular and/or Professional Course)में प्रवेश एवं अध्ययन की सूचना प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय के पास उसका एल-एल0 बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

* एल-एल0 बी0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course)है। अतः यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो उसे काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय एल-एल0 बी0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करने की अनिवार्यता के आलोक में अपने नियोक्ता से विभागीय/संस्थान के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) अथवा अध्ययन अवकाश प्रमाण पत्र (Study Leave Certificate)प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा।

2.3 यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचारणाधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2.4 कोई भी प्रवेशार्थी सत्र 2023–24 की परीक्षा में दो वर्ष (चार सेमेस्टर) के लिए अथवा सत्र 2024–25 की परीक्षा में एक वर्ष (दो सेमेस्टर) या दो वर्ष (चार सेमेस्टर) के लिए अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो उन्हें प्रवेश प्रतिबन्धित है।

2.5. एल-एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग तथा प्रवेश के समय समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति यथा— हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण एवं आरक्षण तथा अधिमान अंकों हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) को जमा करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

2.6. जो अभ्यर्थी एस० सी०, एस० टी०, ओ० बी० सी० जाति या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हों तथा उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य के हों, ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

2.7 आरक्षण/क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

2.8. भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परिनियमों के अनुरूप ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा पद्धति से बिना मूल परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण किये सीधे स्नातक उपाधि प्राप्त की है वे एल-एल० बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

2.9 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई वैध साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे प्रवेश आवेदन पत्र शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अपात्र अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

2.10 प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के उपरान्त प्रवेश हेतु काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच भी की जायेगी।

3. प्रवेश में आरक्षण:

3.1. श्रेणी/आरक्षण हेतु जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हों कृपया आवेदन पत्र में दिये गये कॉलमों में अंकित करें। आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थी अनिवार्यतः काउंसिलिंग तथा प्रवेश के समय अपने मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी छायाप्रति प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र के अभाव में उस श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है:

3.2 निम्नलिखित सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां जमा करना अनिवार्य है। छायाप्रतियों के अभाव में प्रवेश के लिए दावा मान्य नहीं होगा:

(क) –	1.	अन्य पिछड़ा वर्ग—	O.B.C.	14 प्रतिशत
	2.	अनुसूचित जाति—	S.C.	19 प्रतिशत
	3.	अनुसूचित जन जाति—	S.T.	04 प्रतिशत
	4.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	E.W.S.	10 प्रतिशत (स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त)

केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का सम्बन्धित प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाण—पत्र के अभाव में नियमानुसार प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

आरक्षण एवं अधिमान अंक सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र आवेदन पंजीकरण के पूर्व निर्गत होने आवश्यक हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त कोई भी अधिभार अंक सम्बन्धी अथवा कोई भी अन्य प्रमाण पत्र का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण—पत्र जाली/फर्जी पाये गये तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा, तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त किये बिना सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(ख) – उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा जो प्रमाण पत्र के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के निवासियों को ही दिया जायेगा। काउंसलिंग के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. महिला Women(उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी) – 30 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सेनिक (स्वयं) Ex-Army (Self Defense Personnel) – 05 प्रतिशत
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित Dependent of Freedom Fighter— 02 प्रतिशत
4. दिव्यांग Differently abled P.H. – 04 प्रतिशत

* शासनादेशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें आरक्षित होंगी।

*उत्तराखण्ड शासन द्वारा तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा—निर्देशों को लागू किया जायेगा।

4. एल—एल0 बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या:

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा से सम्बद्ध विधि शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या:-

क्रम सं0	महाविद्यालय/ संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट	
			Govt.	Self Finance
01	सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा	LL.B.	100	50

(आरक्षण का लाभ केवल शासन द्वारा अनुमन्य 100 सीटों पर ही देय होगा।)

5-प्रवेशपरीक्षाशुल्क:- प्रवेशपरीक्षाशुल्कऑनलाइनआवेदनकिएजानेहेतुसामान्य / अन्यपिछ़ावर्ग/ ई०डब्ल्यूएसवर्गकेअभ्यर्थियोंहेतुशुल्कर० 1600 (एक हजार पाँच सौमात्र) एवंअनु०जाति/अनु०जनजाति / दिव्यांगअभ्यर्थियोंहेतुशुल्कर० 1100 (एक हजार मात्र) है। अॉनलाइनव्यवस्थाकेतहतशुल्ककाभुगतानकियाजानाहोगा। इसकेलिएअभ्यर्थीको समर्थ पोर्टल कीवैबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in/>मेंदियेलिंक मेंजाकररजिस्ट्रेशनकेपश्चात्करनाहोगा।

आवेदनशुल्कडेबिट/फ्रेडिटकार्ड, नैटबैंकिंग, क्यू०आर० कोड तथा यू०पी०आई०केमाध्यमसेजमाकियाजायेगा। आवेदनशुल्ककिसीभीदशामेंवापसकियाजानासम्भवनहींहोगा।

6- प्रवेश-परीक्षाहेतुआवेदनःसत्र 2025-26 कीप्रवेशपरीक्षाहेतुआवेदन-

पत्रकेवलऑनलाइनहीस्वीकारकिएजाएंगे।आवेदनपत्रपूर्णरूपसेभरकरप्रिंटआउट (Printout)

कोअग्रिमकार्यवाहीहेतुअपनेपासअनिवार्यरूपसेसुरक्षितरखेंगे।व्यक्तिगतएवंडाकद्वाराभेजेगएआवेदन-

पत्रोंकोस्वीकारनहींकियाजाएगा।

7- प्रवेशपरीक्षाहेतुआवेदन-पत्रभरना:

7.1 प्रवेशपरीक्षाहेतुआवेदन-पत्रभरनहेतुअभ्यर्थीकोसमर्थ पोर्टल

कीवैबसाइट<https://ukentrance.samarth.edu.in/>आनेलाइनजानापडेगा।

7.2 होमपेजमेंआवेदन-पत्रभरनेहेतुदिएगएनिर्देशनिम्नानुसारहै -

7.2.1 अभ्यर्थीयोंसेअपेक्षाकीजातीहैकिवेआवेदन-

पत्रभरनेसेपूर्वइसविवरणिकाकोअनिवार्यरूपसेपढ़तेंथाअपनीअर्हताकेबारेमेंसुनिश्चितहोजाएं।एकबारप्रवेशपरीक्षाशुल्कजमाहोजानेपरउसेवापसनहींलौटायाजाएगा।

7.2.2 ऑनलाइनआवेदन-पत्रकीसभीप्रविष्टियोंकोभरनाअनिवार्यहै।आवेदन-पत्रमेंअपनेस्वयंकेमोबाइलनम्बरतथाई-मेलपतेकोअवश्यभरें।इनदोनोंकोप्रवेशप्रक्रियासम्पादितहोनेतकचालूस्थितिमेंरखनेकाउतरदायित्वअभ्यर्थीकाहोगा।

7.2.3 अभ्यर्थीयोंकोऑनलाइनआवेदन-

पत्रकोसभीदृष्टिकोणसेपूराकरनाहैतथाअपनापासपोर्टआकारकाफोटोग्राफतथाहस्ताक्षरकोवैबसाइटकेसम्बन्धितबॉक्समेंअपलोडकरनेहैं।

7.2.4 अभ्यर्थीयोंकोसलाहदीजातीहैकिअपनेद्वाराभरेगएऑनलाइनआवेदनपत्रको Submit

करनेकेपश्चात्सभीप्रविष्टियोंकीसावधानीपूर्वकजाँचकरलें, यदिकोईत्रुटिहोतोउसे Edit Application

द्वारासुधारकरशुल्कजमाकरें।एकबारशुल्कजमाकिएजानेकेपश्चातइनप्रविष्टियोंमेंबदलावनहींकियाजासकता।

7.2.5 ऑनलाइनआवेदन-पत्रभरने, हस्ताक्षरवफोटोग्राफअपलोडकरनेकेपश्चात्सम्पूर्णजानकारीको Submit

करनेकेपश्चात Confirm करकेअभ्यर्थीयोंकोअपनेआवेदन-पत्रकप्रिंट-आउट लेना अनिवार्य है, जिसकी प्रति उनके द्वारा भविष्य में पत्राचार हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।

Main Steps to apply online

- Apply for Online Registration
- Pay Examination Fee
- Fill Online Application Form
- Download Final Application

8. ऑनलाइन आवेदन—पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद (steps)निहित हैं—

- पद – 1: उचित पाठ्यक्रम एल–एल०बी० (त्रिवर्षीय) का चयन करें।
- पद – 2: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन करें।
- पद – 3: अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वेबसाइट पर दिए गए लिंक **Apply Online** द्वारा नये पंजीकरण हेतु नाम, मोबाइल नम्बर, एवं स्वयं का ई–मेल का पता तथा स्वयं द्वारा चुना गया पासवर्ड भर पंजीकरण (**Registration**) कराना है।

पंजीकरण (**Registration**) करते समय अभ्यर्थी यह भली–भाँति जाँच ले कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है अथवा नहीं, पंजीकरण (**Registration**) करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड ई–मेल व पासवर्ड के द्वारा वैबसाइट पर लॉग इन करना होगा।

पद – 4: लॉग–इन करने के पश्चात् पंजीकरण (**Registration Tab**) टैब में जाकर दिये गये निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन करना होगा इसके पश्चात् दी गयी शर्तों से सन्तुष्ट होने पर आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र, वर्ग, पाठ्यक्रम, श्रेणी, उप–श्रेणी, पता, अर्हता सम्बन्धी जानकारी भरी जानी है तत्पश्चात् अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना तथा भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँच के पश्चात् **Submit** करना होगा।

आवेदन पत्र को **Submit** करने के उपरान्त वैबसाइट पर दिए गए Pay Fee लिंक की सहायता से शुल्क जमा करना होगा। आवेदन–शुल्क सामान्य/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग/ई०डब्ल्य०एस० वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु (रु० 1600) एवं अनु०जाति/ अनु० जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु (रु० 1100) जमा करेगा, जिस हेतु उसे ऑनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु इंटरनैट बैंकिंग अथवा क्रैडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। शुल्क जमा किये जाने की रसीद को अभ्यर्थी प्रिंट कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ले।

शुल्क जमा करने से पूर्व आप Update Application की सहायता से आवेदन पत्र में कितनी ही बार परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु एक बार शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः कृपया शुल्क जमा करने से पूर्व आवेदन पत्र की भली भाँति जाँच कर लें तदोपरान्त ही शुल्क जमा करें।

9. प्रवेश–परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त करना:

9.1: निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश–परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय/समर्थ पोर्टल द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश–पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश पत्र में फोटो स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, वे परीक्षा तिथि के दिन दो नवीनतम फोटो लाना सुनिश्चित करें।

9.2: प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र समर्थ पोर्टल की वैबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in/> में दिये गये लिंक के Home Page से Admit Card लिंक के द्वारा अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिन्ट कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथा प्रवेश–पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाएं केवल आधिकारिक वैबसाइट के माध्यम से दी जायेंगी।

10. परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रवेश/काउन्सलिंग: प्रवेश–परीक्षा में प्राप्तांकों एवं देय अधिमान तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात् प्रवेश–परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची समर्थ पोर्टल की वैबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in/> के माध्यम

से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय में संचालित एल-एल० बी० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों, अधिमान अंकों व आरक्षण संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच (Verification) के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी तथा इस वरीयता सूची के आधार पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। एल-एल० बी० प्रवेश परीक्षा परिणाम को समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वैबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in/> पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा-परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है। एलएल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंगशुल्ककाविवरणनिम्नानुसारहोगा-

- सामान्य / अन्यपिछडावर्गकेअभ्यर्थियोंहेतु - रु० 700.00/-
- अनुसूचितजाति/जनजातिकेअभ्यर्थियोंहेतु - रु० 400.00/-

11. प्रवेशहेतुचयनितप्रवेशार्थियोंकोनिर्धारितअवधिकेअन्दरसम्बन्धित	विधिक	शिक्षण
संस्थानमेंप्रवेशलेनाअनिवार्यहोग। निर्धारितअवधिकेअन्दरप्रवेशनलेनेवालेप्रवेशार्थीकादावासमाप्तसमझाजाएगा तथाउसके	/	उनकेबादकेअभ्यर्थीको (प्रतीक्षासूचीसे)
प्रवेशदेदियाजाएगा। चयनितअभ्यर्थीकोप्रवेशकीसूचनाविश्वविद्यालयकीवैबसाइट https://ukentrance.samarth.edu.in/ परदीजाएगी। विश्वविद्यालयकीवैबसाइटपरदीगईसूचनाओंकेआधारपरप्रवेशार्थीप्रवेशप्राप्तकरसकतेहैं।		

12. काउन्सिलिंग/दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नांकित प्रमाण-पत्रों एवं अंकतालिकाओं की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है –

- अ – हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका
- ब – इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका
- स – स्नातक परीक्षा की अंकतालिका
- द – उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)
- य – क्षेत्रिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र
- र – अधिभार अंको से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र
- ल- प्रिट - आउट (printout) कियागयाआवेदनपत्र

नोट:- उक्त प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं की एक-एक छाया प्रति विधि शिक्षण संस्थान में जमा की जायेंगी।

13. अन्य निर्देश:

13.1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

13.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। वांछित प्रमाण—पत्रों की स्व—सत्यापित प्रति तथा मूल प्रमाण पत्र काउंसिलिंग तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवा प्रविष्ट परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।

13.3. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई वैध साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

13.4 प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्राधिकार मुख्यालय, अल्मोड़ा होगा।

नोट:- अधिभार प्राप्तांको हेतु केवल संलग्न प्रारूप पर प्राप्त प्रमाणपत्रों को माना जायेगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी एवं अधिभार अंकों का संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

जो अभ्यर्थी अतिरिक्त अंकों के लिए प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने प्रमाण—पत्र अधोलिखित रूप से तैयार कराके अपने पास सुरक्षित रखें। फोटो कॉपी की सत्यापित प्रति संलग्न करें तथा आवेदन पत्र में सम्बन्धित पंक्तियों एवं स्तम्भों में उल्लेखित करें। अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही देंगे। अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

14. प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के उपरान्त विभिन्न सम्बद्ध विधि शिक्षण संस्थानों (Centre for Legal Education) में प्रवेश हेतु दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच भी की जायेगी।

15. प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निर्धारित तिथि में परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि में प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त समझा जाएगा तथा उसके/उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विधि विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा उनकी वेबसाइट तथा सूचना पट्ट पर दी जायेगी।

16 विशेष निर्देश

16.1. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवादण्डित किया गया हो तो सम्बन्धित कॉलम में अवश्य अंकित करें। इस सूचना को जानबूझकर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

16.2. निम्नलिखित अधिभार एल—एल० बी० में प्रवेश हेतु अनुमन्य है। अभ्यर्थियों द्वारा अधिभार अंकों के लिए प्रतिभाग का स्तर व देय अंकों का विवरण आवेदन पत्र में सही—सही अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि

अंकित विवरण में कोई त्रुटि या प्रविष्टि अंक कम या ज्यादा होंगे तो अभ्यर्थी के आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे/होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में उक्त अंकों का दावा न करने की स्थिति में बाद में किसी भी दशा में अधिभार अंकों का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिभार अंकों के लिये अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों/स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर अधिभार अंक देय होंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो उसके आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी। अधिभार अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से की जायेगी।

16.3 अधिभार अंकों का विवरण निम्नानुसार है –

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को अधिभार केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा –

(1) व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में अभ्यर्थियों द्वारा–

1. प्रथम स्थान पाने पर 05 अंक

2. द्वितीय स्थान पाने पर 03 अंक

3. तृतीय स्थान पाने पर 02 अंक

(2) टीम प्रतिस्पर्धा में— 1. सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम सदस्य होने पर 05 अंक

2. उपविजेता (रनर्स अप) टीम सदस्य होने पर 03 अंक

3. प्रतिभागीटीम का सदस्य होने पर 02 अंक

नोट— (1) उपर्युक्त मद संख्या (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाओं में से केवल एक ही प्रतिस्पर्धा का लाभ देय होगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भाग किया है तो उसे एक ही टीम/ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेल कूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी भी फेडरेशन एवं किसी अन्य एजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ख) निम्नलिखित मदों में से केवल एक का लाभ देय होगा:-

1. नेशनल कैडेट कोर में ‘‘सी’’ प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी अथवा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 05 अंक

या

2. नेशनल कैडेट कोर में ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी अथवा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 03 अंक

या

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या दो से अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को 05 अंक

या

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 03 अंक

नोट: (1) एन० एस० एस० में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर-प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थान के एन० एस० एस० समन्वयक द्वारा निर्गत तथा 240 घण्टे के कार्य का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थान के एन० एस० एस० समन्वयक/प्राचार्य/अधिष्ठाता (प्रशासन) के द्वारा

निर्गत मान्य होंगे।

(2) विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए। दस दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नहीं होगा।

(3) एन० एस० एस० 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्रों पर कोई अधिमान देय नहीं होगा।

या

5. स्काउट एवं गाइड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को 05 अंक
या

6. स्काउट एवं गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को 03 अंक
या

7. स्काउट एवं गाइड्स में गुरुपद व ध्रुवपद प्रशिक्षण प्राप्त प्रवेशार्थी को 05 अंक

नोट— उपर्युक्त वर्णित मद (ख) में से केवल एक का लाभ प्रवेशार्थी को देय होगा।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो विसैन्यीकृत या शासकीय सेवा—निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो।

05 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी०ए०सी० या बी०ए०एफ० या एस०ए०बी०/आई०टी०बी०पी०/सी०आर०पी०एफ०/होमगार्ड्स सेवा से सेवानिवृत्त हों, या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मृत पुलिस या पी०ए०सी० या बी०ए०एफ० या एस०ए०बी०/आई०टी०बी०पी०/सी०आर०पी०एफ०/होमगार्ड्स कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो।

05 अंक

नोट— उपरोक्त (घ) के पात्र अभ्यर्थी सम्बन्धित कमाडिंग ऑफिसर/सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा उपरोक्त (ङ०) के पात्र प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। यदि किसी प्रवेशार्थी के माता/पिता दोनों ही इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें केवल 05 अंकों का अधिमान देय होगा। उक्त के मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(च) ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता हो 05 अंक

नोट— विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र तथा तलाक एवं परित्यक्ता महिला को सम्बन्धित कोर्ट का मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

18.4. एल—एल० बी० प्रवेश हेतु अहं परीक्षा में प्राप्तांकों तथा नियमों में अनुमन्य अतिरिक्त अंक के आधार पर दो या दो से अधिक प्रवेशार्थीयों के अंक समान होते हैं तो स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रवेशार्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि उक्त के बाद भी वरीयता तय न हो तो आयु में ज्योष्ठ परीक्षार्थी को वरीयता दी जायेगी।

नोट— एल—एल० बी० में प्रवेश हेतु अधिकतम अधिभार अंक 15 ही देय है।

प्रमाण—पत्रों के प्रारूप (एल—एल0बी0 हेतु)

प्रमाण—पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अन्यथियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....आत्मज/आत्मजा श्री.....
निवासी
 तहसील.....जनपद.....उत्तराखण्ड राज्य के
 निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

दिनांक.....	हस्ताक्षर सील सहित जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार
-------------	--

प्रमाण—पत्र II (उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)-2001

दिनांक 18-7-2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण—पत्र)

(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....
 पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....जिला...
उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम).....की जाति के व्यक्ति हैं
 यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
 आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....उक्त
 अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0-2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर,
 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम....
तहसील.....जिला.....में सामान्यतया रहता है। यह
 प्रमाण—पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री.....की जांच आख्या.....पर जारी
 किया गया है।

स्थान.....	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक.....	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः— अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक—2—

2001—53(1)2001 दिनांक 18—7—2001 में उल्लिखित एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।
तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

प्रमाण—पत्र III (दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0.....आत्मज/आत्मजा श्री.....
.....निवासी
तहसील.....जनपद.....उत्तराखण्ड राज्य के
दिव्यांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिससे अन्य विद्यार्थियों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपरिथत होने की सम्भावना हो।
अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

दिनांक.....हस्ताक्षर सील सहित

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः— न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने का CMOद्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

प्रमाण—पत्र IV(प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है किश्री/ श्रीमती/ कु0.....
आत्मज/आत्मजा श्री.....प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद)पर
कार्य कर रहे हैं/कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुये/उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी/वह
अपांग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री/ श्रीमती/ कु0इनके
पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी हैं।

दिनांक.....हस्ताक्षर सील सहित

प्रमाण—पत्र V (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....आत्मज/आत्मजा श्री.....
भूतपूर्व सैनिक ने.....के पद पर कार्य किया/ससम्मान
सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर सील सहित
ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण—पत्र VI (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....आत्मज/आत्मजा श्री.....
शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं/थे तथा श्री/श्रीमती/कु0...
इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

नोट:- प्रमाण—पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण—पत्र VII (विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....आत्मज/आत्मजा श्री.....
एक विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला हैं, इनके पति श्री
की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांकको कर दिया गया
है।

दिनांक..... हस्ताक्षर सील सहित
उपजिलाधिकारी

नोटः— कानूनी प्रमाण-पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

प्रमाण-पत्र VIII (पुलिस / पी०ए०सी० / होमगार्ड / बी०ए०स०ए०फ० / ए०स०ए०स०बी० या
आई०टी०बी०पी० / सी०आर०पी०ए०फ० के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती.....आत्मज / आत्मजा श्री...
.....विभाग.....पद.....पर.....सक्रिय
पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।
दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर

पी०ए०सी० / होमगार्ड / बी०ए०स०ए०फ० / ए०स०ए०स०बी० / आई०टी०बी०पी० / सी०आर०पी०ए०फ०

नोटः— होमगार्ड के लिए प्रमाण-पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं.

दिनांक
वर्ष के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... ग्राम/मोहल्ला डाकघर जिला
..... राज्य के स्थायी निवासी हैं और जिनका नीचे चिपकाया गया
फोटोग्राफ अभिप्रमाणित किया गया है ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं और वित्तीय वर्ष
..... में इनकी कुल वार्षिक आय* रुपए 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है। इनका परिवार**
निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से कोई भी संपत्ति धारण नहीं करता है***।

- I. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि
- II. 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक वर्ग फीट का आवासीय प्लॉट
- III. अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय प्लॉट

2. श्री/श्रीमती/कुमारी का संबंध जाति से है जो अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

आवेदक	का
पासपोर्ट	आकार
का	अद्यतन
फोटोग्राफ	

*टिप्पणी 1: आय के रूप में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, इत्यादि सभी शामिल हैं।

**टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' का अर्थ आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति सहित उसका/उसकी पिता-माता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।

***टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दर्जे का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों/शहरों में धारित सम्पत्ति को जोड़ा जाएगा।